International Journal of Political Science and Governance 2025; 7(11): 209-216

E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
Impact Factor (RJIF): 5.92
IJPSG 2025; 7(11): 209-216
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 18-08-2025
Accepted: 24-09-2025

आर्या
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग, तिलका मांझी, भागलपुर, विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
आर्या
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग, तिलका मांझी, भागलपुर, विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

लाल बहादुर शास्त्री जी सांसद व शासकीय भूमिका के रूप में

आर्या

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i11c.763

सारांश
लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता आंदोलन से ही "करो या मरो" के महामंत्र से प्रेरित थे और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में सत्ता हस्तांतरण के साक्षी बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव (1952) की तैयारी में उन्होंने कांग्रेस संगठन को सक्रिय किया और चुनाव अभियान को सफल बनाने में दिन-रात कार्य किया, जिससे कांग्रेस को अपेक्षित विजय मिली।
नेहरू जी के आग्रह पर शास्त्री जी राज्यसभा सदस्य बने और विभिन्न मंत्री पदों का उत्तरदायित्व संभाला। 1957 और 1962 के आम चुनावों में भी उन्होंने कांग्रेस प्रचार का नेतृत्व किया तथा नई पीढ़ी को राजनीति में लाने का प्रयास किया। संगठन क्षमता और कर्मठता के कारण वे नेहरू जी के विश्वसनीय सहयोगी बने। स्वयं चुनाव न लड़ने के बावजूद संगठनात्मक दक्षता और देशव्यापी पहचान ने उन्हें भविष्य के बड़े उत्तरदायित्वों के लिए अग्रसर किया।

कुटशब्दः प्रशासकीय, अनुसंधान, उत्तरदायित्व, संगठन, कर्मठता, क्षमता, संप्रभुता, राष्ट्रीयता, युगांतरकारी, विश्वासपात्र, सक्रियता, दुर्घटना, त्यागपत्र।

प्रस्तावना
लाल बहादुर शास्त्री संसद व शासकीय जीवन में प्रवेश से पहले 'करो या मरो के महामंत्र से ओत-प्रोत थे। 1942 ई० के अगस्त क्रांति ने अन्ततः राष्ट्रीय स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया और भारत की संप्रभुसत्ता ब्रिटिश अधीनता से भारतीय के हाथों में हस्तांतरित हुई। 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में सत्ता हस्तांतरण के युगांतरकारी साक्षी के लिए संविधान सभा के बीच शास्त्री जी भी उपस्थित थे। इस संविधान सभा पर स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान रचने का पूर्ण दारोमदार था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की जनता द्वारा नवनिर्मित संविधान आत्मार्पित कर लिए जाने के साथ संविधान सभा का कार्य पूर्ण हो गया। नए संविधान के आधार पर 1952 के प्रारंभ में भारतीय संसद के प्रथम आम चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित हुआ और तब तक के लिए संविधान सभा के सदस्यों को लेकर ही अस्थाई संसद गठित की गई। प्रांतीय विधानसभाओं से आए प्रतिनिधियों को अपनी इच्छा अनुसार अस्थाई संसद का सदस्य बने रहने या अपनी विधानसभा में लौटने के स्वतंत्र निर्णय का अधिकार दिया गया।
शास्त्री जी का व्यक्तित्व काफी अच्छा रहने के कारण वे दोनों पक्षों के नेताओं के समान रूप से विश्वासपात्र थे। शास्त्री जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद नेहरू जी ने उन्हें पार्टी के काम की देखरेख के लिए दिल्ली बुलाया तो वे इनकार नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश में

मंत्री पद से इस्तीफा देकर वे दिल्ली आ गए और उन्होंने पार्टी के महासचिव का काम संभाल लिया। अप्रैल-मई 1952 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। यह वह समय था जबकि देश नए संविधान को स्वीकार करने के उपरांत पहली बार आम चुनाव की तैयारी कर रहा था। कांग्रेस संगठन को सक्रिय करना और देशभर में चुनाव के लिए उचित उम्मीदवारों को ढूंढना चुनाव अभियान का तत्परता और सक्रियता के साथ संचालन करना अत्यंत कठिन कार्य था। लेकिन शास्त्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करके अपने काम में रात और दिन एक कर दिया। वे नेहरू जी के साथ उनके तीनमूर्ति निवास स्थान पर ठहरते थे। उनकी व्यस्तता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने खाना खिलाने वाले सेवक को यह आदेश दे दिया था कि भोजन का समय आने पर वे उनकी थाली चुपचाप कमरे में रख जाया करें। बहुधा यह होता था कि वह थाली ज्यों की त्यों रखी रह जाती थी। इस चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कांग्रेस के उच्च नेताओं से लेकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तक से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया तथा संपूर्ण देश का दौरा किया। हर महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव व्यूह की रचना की। इस चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता का श्रेय शास्त्री जी के हिस्से में कम नहीं माना जा सका।

चुनाव के बाद नेहरू जी ने उनसे आग्रह किया कि राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना स्वीकार करें। यह प्रस्ताव शास्त्री जी ने स्वीकार किया और वे राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके बाद अपनी कर्मठता के बल पर उनके कंधों पर अन्यान्य मंत्री पदों का भार सौंपा गया। ये विलक्षण संयोग की बात है सत्र 1957 में जबकि देश में पुनः आम चुनाव के लिए तैयारी चल रही थी. शास्त्री जी की सेवाएँ कांग्रेस प्रचार अभियान का संगठन करने के लिए पुनः उपलब्ध हो गई। इसके बाद 1962 के चुनाव में नेहरू जी को फिर शास्त्री जी की संगठन क्षमता पर निर्भर होना पड़ा। नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गाँधी और शास्त्री जी ने मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची तैयार की। शास्त्री जी के अनुरोध के फलस्वरुप इस चुनाव में कम से कम एक तिहाई कांग्रेस उम्मीदवार नई पीढ़ी से ही चुने गए। कांग्रेस में नए रक्त के संचार करने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। राजनीति का कोई भी विद्यार्थी इस बात से असहमत न होगा कि व्यापक प्रशासकीय अनुभव के साथ-साथ कांग्रेस संगठन के सार्वदेशिक व्यक्तित्व से इतना निकट परिचय उनके किसी भी समकालीन कांग्रेस नेता को प्राप्त नहीं हो सका था। अपने-अपने क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो निश्चय ही दलीय स्थिति की दृष्टि से शास्त्री जी की अपेक्षा वरिष्ठ थे, उनका प्रभाव संगठन के माध्यम से उस सीमा तक सार्वदेशिकता को प्राप्त नहीं कर सका जितना शास्त्री जी को प्राप्त हुआ। संभवतः यह महत्वपूर्ण अनागत भविष्य में अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को पूरा करने का परोक्ष निमंत्रण था। 1952 का वर्ष नया संविधान लागू होने के बाद देश में पहले आम चुनाव का वर्ष था। लोकसभा, विधानसभा के लिए लगभग 3000 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना था। नेहरू जी देश में भी घूम-घूम कर और अपने आकर्षक व्यक्तित्व से मतदाताओं को प्रभावित कर वोट जुटा सकते थे लेकिन पीछे दफ्तर का काम संभालने के लिए भी किसी कुशल व्यक्ति की आवश्यकता थी और वह कार्य शास्त्री जी ने किया। अपना दायित्व निभाने में वे इतना व्यस्त हो गए कि स्वयं लड़ने की बात ही नहीं सोच सके। बाद में राज्यसभा के लिए उनका निर्वाचन किया गया।

पुलिस और परिवहन मंत्री

लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी ईमानदारी और चरित्रबल के कारण पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अत्यंत प्रिय थे। 1946 में पंत जी ने उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया और बाद में गृह तथा परिवहन मंत्री का दायित्व सौंपा। गृह मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने सांप्रदायिक उपद्रवों में प्रतिकारात्मक नीति से परहेज़ किया और पहली बार भीड़ नियंत्रण हेतु लाठीचार्ज के स्थान पर पानी की बौछार का प्रयोग किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई और मानवीय दृष्टिकोण से कार्य किया।

परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया और महिलाओं को बस कंडक्टर नियुक्त कर प्रगतिशील सुधार किए। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य जनहित और विशेषकर ग्रामीण जनता को सुविधाएँ पहुँचाना था, साथ ही निजी बस चालकों को बेरोजगार न होने देने पर भी उन्होंने ध्यान दिया। विपक्ष के विरोध के बावजूद उन्होंने दृढ़ता से विधेयक पारित कराया।

लाल बहादुर शास्त्री जी ने गृह एवं परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में ईमानदारी, मानवीय दृष्टिकोण और प्रगतिशील सुधारों का परिचय दिया। उन्होंने सांप्रदायिक उपद्रवों तथा छात्र आंदोलनों में लाठीचार्ज के बजाय पानी की बौछार का प्रयोग कर भीड़ नियंत्रण की नयी नीति अपनाई। परिवहन क्षेत्र में उन्होंने बस सेवा का राष्ट्रीयकरण किया और महिलाओं को कंडक्टर नियुक्त कर सामाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके निर्णय सदैव जनहित पर केंद्रित और दूरदर्शिता से परिपूर्ण रहे।

इस प्रकार शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल में मानवता, ईमानदारी और दूरदृष्टि का परिचय दिया।

रेल मंत्री

13 मई 1952 को लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर रेल मंत्री बनाया गया। विभाजन के बाद रेल विभाग अस्त-व्यस्त था, किन्तु शास्त्री जी ने अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे सुधारने का कठिन कार्य संभाला। उन्होंने मंत्रालय में पुराने ढर्रे को बदलकर कामकाज को गति दी, आँकड़ों व तथ्यों पर गहरी पकड़ बनाई और अधिकारियों में कर्मनिष्ठा व जिम्मेदारी की भावना जगाई।

देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। शास्त्री जी ने प्रशासनिक सुधार, अनुसंधान निदेशालय, दक्षता ब्यूरो, नए डिवीजन और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जैसी योजनाओं से रेलवे को पुनः संगठित किया। चितरंजन इंजन कारखाने व कोच फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई गई। सेवापुरी स्टेशन पर उन्होंने स्वयं फावड़ा चलाकर प्लेटफॉर्म ऊँचा करवाने का उदाहरण प्रस्तुत किया।

रेल मंत्री के रूप में उन्होंने पूर्वी रेलवे को अलग कर विकास गति दी, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया और माल ढुलाई समय पर पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया–पहला दर्जा समाप्त कर दूसरा दर्जा बनाया, तीसरे दर्जे के यात्रियों को पंखे, भोजन और आरक्षण की सुविधा दी। वे स्वयं निरीक्षण करते, यात्रियों की तकलीफ़ समझते और सुधार करवाते थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि वे रेल मंत्री होते हुए भी साधारण पास पर यात्रा करते और टिकट परीक्षक से टिकट दिखाने में हिचकिचाते नहीं थे।

भ्रष्टाचार और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने हेतु उन्होंने सुरक्षा परामर्शदाता नियुक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और रेलवे सुरक्षा निदेशालय का गठन हुआ। इन प्रयासों से रेलवे व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता आई।

हालाँकि, 1956 की महबूबनगर और आरियालूर ये दो रेल दुर्घटनाओं से वे अत्यंत विचलित हुए। पहली दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहा, परंतु नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी दुर्घटना के पश्चात उन्होंने उत्तरदायित्व स्वीकारते हुए दृढ़ता से रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके इस आदर्शवादी कदम की प्रधानमंत्री नेहरू ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और उनके निष्ठा, सहयोग व आदर्शों को कांग्रेस और देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

रेल मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी, साहस और उत्तरदायित्व का अद्‌वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

शास्त्री जी का पुनः मंत्रिमंडल में आना

सन् 1957 में आम चुनाव होने पर उन्हें पुनः चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे शास्त्री जी ने बड़ी कुशलता से निभाया। वे इलाहाबाद पश्चिमी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। पंडित नेहरू ने उन्हें इस बार संचार व परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। वह इस पद पर 28 मार्च 1958 तक रहे थोड़े ही समय में शास्त्री जी परिवहन तथा संचार मंत्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ आए। उनके मंत्रित्वकाल में विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण कारखाने पर काम शुरू हुआ। इसी अवधि में डाक टार कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल से सारे देश में संचार व्यवस्था ठप्प हो गई और संकट की स्थिति पैदा हो गई। शास्त्री जी ने अपने कौशल से इस स्थिति को शीघ्र ही संभाल लिया।

संचार मंत्री

शास्त्री जी ने थोड़े ही समय में संचार विभाग में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्रदान की। पुराने टिकट के स्थान पर टिकटों की एकदम नई श्रृंखला जारी करना, नई स्टेशनरी पोस्टकार्ड, लिफाफे, मनी ऑर्डर फॉर्म, अन्य फॉर्म आदि छापना, 1957 से 5000 रुपए तक के मूल्य तक के उपहार कूपन जारी करना, सेविंग बैंक की सुविधा में विस्तार, गाँवों में घरेलू रेडियो सेटों की लाइसेंस फी 15 रुपए से घटाकर 10 रुपए करना, संपदा शुल्क अदा करने के लिए डाक विभाग को विशेष सुविधा प्रदान करना। इस अवधि में तारों को अपने गंतव्य स्थान पर अधिक शीघ्रता से पहुँचाने के लिए बम्बई में टेप रिले एक्सचेंज की स्थापना की गई। देहातों तथा अल्प विकसित क्षेत्रों में तार और टेलीफोन की सुविधाओं के विस्तार के लिए एक उदार नीति अपनाई गई। कोलकाता और बम्बई के बीच एक्सल केबल बिछाया गया जिससे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, आगरा और पटना को भी जोड़ा गया। इससे टेलीफोन सेवा में काफी ज्यादा सुविधा हुई। इस अवधि में ही भारत को विश्व डाक संघ की कांग्रेस में उसके महत्वपूर्ण वित्तीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया। अगले वर्ष के मूंदड़ा कांड के फलस्वरुप टी०टी० कृष्णमाचारी ने वित्त मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। नेहरू जी ने विभागों का पुनर्विवरण कर मोरारजी देसाई को नया वित्त मंत्री बनाया और वाणिज्य तथा उद्‌योग विभाग मंत्रालय शास्त्री जी को सौंपा गया।

शास्त्री जी 17 अप्रैल 1957 से 28 मार्च 1958 तक केंद्र में संचार तथा परिवहन मंत्री रहे। इस अवधि में ही न केवल संचार मंत्रालय के पुनर्गठन की नींव रखी गई बल्कि टेलीफोन तथा डाकतार सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। इसी अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार

की भी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हाथ में ली गई। साथ ही शास्त्री जी ने अपने स्वभाव के अनुसार ग्रामीण अंचलों की भी उपेक्षा नहीं होने दी। इन विकास कार्यों की एक झलक उनके उस भाषण में मिलती है जो उन्होंने 28 मार्च 1958 को लोकसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर बोलते हुए दिया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भी शास्त्री जी की कुशलता और सूझबूझ की पूरी परीक्षा हुई। सरकार समाजवाद के बल पर चलने के लिए संकल्प पद्धति और अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन देश ने सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी उद्योगों के विकास का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपनाया था। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को संभालने वाले मंत्री के लिए अपनी लोकप्रियता को बनाए रखना कठिन होता है। इस देश में यह बात और भी मुश्किल होती है। एक तरफ देश का अपना घोषित लक्ष्य यह था कि सार्वजनिक और निजी औद्योगिक क्षेत्र के समानांतर चलते हुए भी भारत में समाजवाद की स्थापना का पथ प्रशस्त हो और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी उदासीनता की भावना पैदा न हो। निजी क्षेत्र के कार्य क्षमता के आधार पर उद्योगों के प्रसार में सहायता मिलती है. निजी पूँजी बाजार में आती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात किया है कि निजी क्षेत्र के सुरक्षित और खुशहाल बने रहने से गैर समाजवादी आर्थिक व्यवस्था वाले देश सहकारिता के आधार पर नए धंधे खोलने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र जिनका सीधा संबंध राष्ट्रीय जीवन को अनिवार्य करार दी गई वस्तुओं के उत्पादन से नहीं है, निजी क्षेत्र में ही उन्नति कर सकते हैं। सरकार ने इसी दृष्टि से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति स्वीकार की है। शास्त्री जी के कार्यकाल में व्यापारिक समुदाय खुश रहा, हालाँकि कंपनी कानून के बारे में उन्होंने जो निर्णय दिए। वे निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए अनुकूल नहीं पड़ते थे।

उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में भी शास्त्री जी के समय में विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ा, परन्तु उन्होंने इस संकट को भी संभाला। इन तमाम परिस्थितियों में उन्होंने व्यापारिक समुदाय में अमित्र नहीं बनाए। उनकी सच्चाई और ईमानदारी कभी भी संदिग्ध नहीं रही। उनके कार्यकाल में सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र भी विकास कर सके। इससे समाजवादी व्यवस्था के नए रास्ते खुले। उन्होंने छोटी-छोटी मशीनों के निर्माण में तत्परता दिखाई। उन्हीं के कार्यकाल में 'हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन' (एच०आई०सी०) की स्थापना सोवियत संघ व चेकोस्लाविया के सहयोग से हुई। जापान की सहायता से हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एच०एम०टी०) की स्थापना बेंगलुरु में की गई, जिससे कम कीमत में उत्कृष्ट कोटि की घड़ियों बनकर तैयार हुई। राँची में भारी मशीनों का कारखाना स्थापित हुआ। उसी के बलबूते बोकारो इस्पात कारखाने ने अभूतपूर्व प्रगति की। उनका रुझान भारत में कुटीर उद्योगों की तरफ था। वे औद्योगिक विकास को कृषि के साथ जोड़ने के पक्षधर थे ताकि प्रचुर मात्रा में अन्न पैदा हो सके, जिससे दूसरे देशों पर अन्न की निर्भरता समाप्त हो।

उसी समय देश के समक्ष खाद्य समस्या एक विकराल समस्या के रूप में मुँह बाएँ खड़ी थी। शास्त्री जी ने इस समस्या के समाधान के लिए सभी से सहयोग करने की अपील की 'खाद्य समस्या को हल करने के लिए हमें दफ्तरों की बजाय खेतों में काम करना होगा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं स्वयं गांव में जाकर बिना किसी दिखावे के काम करूँगा। हमें अपना यह मिशन बना लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, देश में अनाज की पैदावार बढ़ानी है।

शास्त्री जी के कार्यकाल में औद्योगिक उत्पादन के सभी लक्ष्य पूरे हुए। अनेक मदों में उत्पादन का परिणाम निर्धारित लक्ष्य से 15% ऊपर पहुँच गया। निजी औद्योगिक क्षेत्र की उदासीनता भंग हुई। सभी क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए मंत्रालय में बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया।

इसी काल में शास्त्री जी को दिल का पहला दौरा 2 अक्टूबर 1959 को पड़ा। वे दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे थे। रास्ते में ही सवेरे उठने पर उन्होंने हाथ में ऊपर की ओर कुछ दर्द का इशारा किया। ललिता जी ने डॉक्टर को बुला लिया जिसने उनकी जांच की बाद में उन्हें आराम करने की सलाह दी। शास्त्री जी मिर्जापुर मीटिंग के लिए जाने वाले थे, रुक गए और न पहुँच पाने की सूचना भिजवा दी गई। आधी रात को शास्त्री जी ने बहुत गर्मी लगने की शिकायत की, पंखा चलने के बावजूद वे पसीना-पसीना हो रहे थे। तत्काल डॉक्टर बुलाए गए, शास्त्री जी को सुई लगाने के बाद लखनऊ और दिल्ली के विशेष डॉक्टर को फोन मिलाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डेढ़ महीने बाद वे निरोग होकर दिसंबर में दिल्ली लौटे और अपना कार्यभार संभाल लिया।

वाणिज्य और उद्योग किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। शास्त्री जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में 28 मार्च 1958 से 5 अप्रैल 1961 तक इस विभाग को भी संभाला। ऐसा करते हुए उन्होंने न केवल सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बीच सौहार्दपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया वरन् बड़े, मझले, छोटे और ग्राम उद्योगों के बीच उचित तालमेल का भी प्रयास किया। उनका प्रमुख लक्ष्य

देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या को भी हल करना था। इस कार्य में वे सहयोग चाहते थे। 16 अप्रैल 1959 को उन्होंने लोकसभा में स्पष्ट शब्दों में सामने रखा था।

केंद्रीय गृह मंत्री

सन् 1961 के फरवरी माह में केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत अस्वस्थ हो गए। इन्हें देखने के लिए शास्त्री जी पहुँचे। नेहरू जी भी वहाँ पहुंच गए थे। नेहरू जी ने शास्त्री जी को बाहर लॉन में ले गए और उनके कंधे पर हाथ रखा, जैसा उनका स्वभाव था. स्थिति की गंभीरता पर उनसे चर्चा करने लगे। पंत जी के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा नहीं थी। अतः उन्होंने शास्त्री जी से उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के साथ-साथ पंत जी के स्वस्थ होने तक गृह विभाग भी संभाल लेने को कहा। शास्त्री जी ने 'जो आपकी आज्ञा कह कर उनकी बात स्वीकार कर ली। यद्यपि उनके मंत्रिमंडल में अनेक सक्षम व कुशल मंत्री थे। यह पद उस दौरान दुधारी तलवार पर अपना सिर हाथ में लेकर चलने के समान था। पंत जी से पूर्व सरदार वल्लभभाई पटेल भी गृह मंत्री के रूप में सुशोभित हो चुके थे। ऐसे सक्षम महापुरुषों के गृह मंत्री रहने के बाद शास्त्री जी को इस मंत्रालय में अपनी योग्यता सिद्ध करने थी, जिसे उन्होंने बखूबी प्रमाणित किया। यद्यपि तीनों महापुरुषों की कार्यशैली में अंतर था. लेकिन शास्त्री जी के कार्यकाल में परिणाम हमेशा सकारात्मक रहे और उन्होंने कदम-कदम पर अपनी योग्यता प्रमाणित की। 25 फरवरी 1961 से उन्होंने गृह विभाग का भी अतिरिक्त पद संभाला।, अप्रैल 1961 को पंत जी का निधन हो गया और शास्त्री जी पूर्ण रूप से गृह मंत्री बनाए गए। यह पद ऐसा था जिससे राष्ट्रीय जीवन के दिन प्रतिदिन के संचालन का सीधा संबंध था। शास्त्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वराष्ट्र मंत्री पद के समक्ष जितने भी दायित्व थे, उनकी पूर्ति का संकल्प धारण कर लिया। उनके पूर्ववर्ती गोविंद वल्लभ पंत की कार्य पद्धति यह थी कि वे किसी भी समस्या को तब तक टालते रहते थे, जब तक कि परिस्थितियाँ अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर न कर दे, असम की भाषा समस्या किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकती थी यह 1960 भाषाई दंगों से स्पष्ट हो चुकी थी।"

उस समय तत्कालीन असम (अब असोम) में भाषा-विवाद अपने चरम पर था। इस विवाद में हजारों लोग मारे गए और लगभग चालीस हजार बंगालियों को अपने घरों से पलायन कर पश्चिम बंगाल में शरण लेनी पड़ी। यह विवाद दंगे के रूप में अप्रैल, 1960 में शुरू हुए। असम के मूल निवासियों का आरोप था कि थोड़े से बंगाली, प्रशासन और व्यवसाय पर अपना एकाधिकार जताए हुए हैं, जबकि उनका 19% मात्र है और असमियों का 55% है। मई, 1961 में असम के कछार जिले से दंगे शुरू हुए, जो धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल गए। गृह मंत्री की हैसियत से इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने 31 मई, 1961 को असम की यात्रा की। उन्होंने असमियों और बंगालियों के प्रतिनिधि नेताओं से वार्ता की और दोनों ही समुदायों की सहमति से एक फार्मूला सुझाया, जिसे 'शास्त्री फार्मूला' के नाम से जाना गया। इस फार्मूले पर दोनों पक्ष सहर्ष सहमत हुए और समस्या का हल हो गया।

उस समय पंडित नेहरू ने शास्त्री जी की प्रशंसा करते हुए कहा था 'श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो फार्मूला रखा है, वह बहुत अच्छा है। उसके अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता है। इससे अधिक की वास्तव में कोई आशा नहीं कर सकता था।"

एक अन्य समस्या भी उस समय शास्त्री जी की परीक्षा लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। देश के पंजाब प्रांत में भी भाषा समस्या थी, लेकिन अलग स्वरूप में। अकाली दल प्रमुख मास्टर तारा सिंह 'सिक्ख सूबा' बनाने के मुद्दे पर केंद्रीय सरकार से टकराव की मुद्रा में आ गए। अगस्त 1961 में सूबे के निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शनों व मोर्चों की झड़ी लग गई। मास्टर तारा सिंह 48 दिन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने तत्कालीन पंजाब सरकार के खिलाफ भी आरोप लगाए। श्री सिंह ने कहा कि सिखों के साथ राष्ट्रीय सेवा में भेदभाव किया जाता है। शास्त्री जी ने इस आरोप की का गठन किये। जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। उनके आरोप कमीशन ने मिथ्या पाए, लेकिन वे नहीं माने। अकाली दल में उनके विरुद्ध आक्रोश पनपने लगा और मास्टर फतेह सिंह उनके विरुद्ध मैदान में उतर आए। अंततः सरकार और अकाली दल में सम्मानजनक समझौता हुआ ।मास्टर तारा सिंह ने भी स्वयं शास्त्री जी की प्रशंसा की।

इस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में रहते हुए शास्त्री जी ने कई मुद्दों को हल किया और अपनी अमित छाप छोड़ी तथा अपने व्यक्तिवाओं के निष्ठा पूर्वक निर्वहन से वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के और अत्यधिक करीब आए एवं उनके दिल में स्थान बना लिया।

शोध का उद्देश्य

1. स्वतंत्रता संग्राम से संसद तक की यात्रा का अध्ययन शास्त्री जी के 'करो या मरो' जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से लेकर संविधान सभा और अस्थायी संसद में उनकी सक्रिय उपस्थिति तक की भूमिका का विश्लेषण करना।

2. कांग्रेस संगठन में उनकी भूमिका का मूल्यांकन प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनावों (1952, 1957, 1962) में कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने, उम्मीदवार चयन तथा प्रचार अभियान संचालन में उनकी कार्यकुशलता को उजागर करना।
3. गृह मंत्री एवं परिवहन मंत्री के रूप में योगदान का अध्ययन सांप्रदायिक उपद्रवों में मानवीय दृष्टिकोण, भीड़ नियंत्रण की नई नीति, बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण और महिलाओं को कंडक्टर नियुक्त करने जैसे सुधारों का विश्लेषण करना।
4. रेल मंत्री के रूप में प्रशासनिक क्षमता का आकलन विभाजन के बाद अस्त-व्यस्त रेल व्यवस्था को सुधारने, भ्रष्टाचार व चोरी पर रोक, RPF की स्थापना तथा रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेकर पदत्याग जैसे आदर्शवादी कदमों का अध्ययन करना।
5. संचार एवं परिवहन मंत्री के रूप में उपलब्धियों का अध्ययन डाक व टेलीफोन सेवाओं के विस्तार, जहाज निर्माण उद्योग की शुरुआत, और संचार हड़ताल जैसी चुनौतियों के समाधान में उनकी दक्षता का मूल्यांकन करना।
6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में नीति-निर्माण का विश्लेषण सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में संतुलन, HMT और HEC जैसे उपक्रमों की स्थापना, औद्योगिक विकास को कृषि से जोड़ने और खाद्यान्न समस्या के समाधान हेतु उनके प्रयासों का अध्ययन करना।
7. गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय एकता के प्रयासों का मूल्यांकन असम भाषा-विवाद का 'शास्त्री फार्मूला' द्वारा समाधान और पंजाब में अकाली आंदोलन के साथ समझौते जैसे कदमों का विश्लेषण करना।
8. उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली की विशेषताओं का अध्ययन ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, मानवीय दृष्टिकोण, संगठनात्मक क्षमता और उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व को भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में एक आदर्श के रूप में स्थापित करने का अध्ययन करना।

साहित्य की समीक्षा

1. **सी. पी. श्रीवास्तव - Lal Bahadur Shastri: A Life of Truth in Politics(1980):** सी. पी. श्रीवास्तव, जो शास्त्री जी के निजी सचिव रहे, ने अपनी पुस्तक में उनके व्यक्तिगत जीवन, कार्यशैली और राजनीतिक आदर्शों का गहन विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा कि शास्त्री जी का नेतृत्व "सत्य, सादगी और समर्पण" पर आधारित था। उनके अनुसार, शास्त्री जी ने प्रशासनिक पदों पर रहते हुए ईमानदारी और कर्मठता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। रेल दुर्घटनाओं के बाद त्यागपत्र देना उनकी उत्तरदायित्व भावना का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है।
2. **के. वी. कृष्णा रेड्डी - Shastri : Life and Philosophy (1985):** रेड्डी ने शास्त्री जी के समाजवादी दृष्टिकोण, ग्रामोन्मुख विकास नीति और मानवीय प्रशासनिक दृष्टि का विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा कि शास्त्री जी का प्रशासन "लोककल्याण और नैतिक शासन" की भावना से ओत-प्रोत था। परिवहन मंत्री के रूप में महिलाओं की नियुक्ति और बस सेवा का राष्ट्रीयकरण, उनके प्रगतिशील सोच का परिचायक बताया गया है।
3. **रामकृष्ण सिंह - भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री:** एक अध्ययन (1995): ने शास्त्री जी के राजनीतिक विकास को तीन चरणों में विभाजित किया-

1. स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता,
2. संगठनात्मक नेतृत्व और
3. प्रशासनिक कार्यकुशलता

लेखक का मत है कि रेल परिवहन, गृह तथा वाणिज्य मंत्रालयों में शास्त्री जी का कार्य कर्मनिष्ठ प्रशासनिक नेतृत्व का प्रतिमान था। उन्होंने भीड़ नियंत्रण की नीति में "लाठीचार्ज के स्थान पर जल बौछार" की नीति को भारतीय प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण का आरंभिक उदाहरण माना।

4. **बी. एल. ग्रोवर - Modern Indian History (1990):** ग्रोवर के अनुसार, शास्त्री जी का मंत्री पद का कार्यकाल स्वतंत्र भारत के संविधानिक संक्रमण काल में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए नई संस्थाओं – जैसे Railway Protection Force, Efficiency Bureau, और Research Directorate – की स्थापना की। यह सुधार भारत में संगठित प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया।
5. **आर. के. प्रकाश - India's Leadership after Nehru (2002):** लेखक ने शास्त्री जी को "Transition Leader" कहा है। उनके अनुसार, शास्त्री जी ने नेहरू की नीतियों की निरंतरता बनाए रखते हुए प्रशासनिक प्रणाली में जनोन्मुख दृष्टिकोण जोड़ा। उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित कर भारतीय समाजवादी ढांचे को व्यवहारिक स्वरूप दिया।
6. **वी. शंकर - The Administrative Ethics of Shastri (2005):** वी. शंकर ने शास्त्री जी की कार्यशैली को भारतीय प्रशासनिक नैतिकता का आधार कहा है।

उन्होंने उनके तीन सिद्धांतों – सादगी, उत्तरदायित्व और लोककल्याण – को प्रशासनिक आचारनीति का आदर्श बताया। विशेष रूप से रेलवे दुर्घटना के बाद उनके त्यागपत्र को "राजनैतिक नैतिकता का स्वर्णिम उदाहरण" माना गया है।

अनुसंधान पद्धति

यह शोध गुणात्मक (Qualitative) और ऐतिहासिक (Historical) प्रकृति का है। इसका मुख्य उद्देश्य लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रशासनिक और राजनीतिक योगदान का विश्लेषण करना और उनके निर्णयों, नीतियों तथा नेतृत्व शैली का व्यापक अध्ययन करना है। गुणात्मक दृष्टिकोण, शास्त्री जी के व्यक्तित्व, उनके प्रशासनिक और राजनीतिक योगदान, निर्णय प्रक्रियाओं और नीति निर्माण की प्रक्रिया का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाएगा।

प्राथमिक स्रोत: सरकारी दस्तावेज़, संसद रिकॉर्ड, भाषण और पत्र।

द्वितीयक स्रोत: ऐतिहासिक पुस्तकें, शोध पत्र, पत्रिकाएँ और मीडिया रिपोर्ट।

शोध की परिकल्पना

1. स्वतंत्रता संग्राम एवं संगठनात्मक भूमिका लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर राजनीति में आए और उन्होंने 'करो या मरो' के आदर्श को जीवन में उतारते हुए स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में योगदान दिया।
2. कांग्रेस संगठन में नेतृत्व क्षमता प्रथम आम चुनाव (1952) और उसके बाद के चुनाव अभियानों में शास्त्री जी ने कांग्रेस संगठन को सक्रिय कर पार्टी को सफलता दिलाई। उनकी संगठनात्मक क्षमता और निष्ठा उन्हें सार्वदेशिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है।
3. गृह मंत्री के रूप में मानवीय दृष्टिकोण गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भीड़ नियंत्रण में लाठीचार्ज की बजाय पानी की बौछार का प्रयोग कर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और पुलिस सुधारों में संवेदनशीलता दिखाई।
4. परिवहन मंत्री के रूप में प्रगतिशील सुधार बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण, महिलाओं को कंडक्टर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधाएँ पहुँचाना उनकी प्रगतिशील सोच को दर्शाता है।
5. रेल मंत्री के रूप में उत्तरदायित्व व ईमानदारी रेल व्यवस्था में सुधार, RPF की स्थापना और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण उनके प्रशासनिक कौशल के उदाहरण हैं। रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए उनका इस्तीफा आदर्शवादी राजनीति का प्रमाण है।
6. संचार व परिवहन मंत्री के रूप में उपलब्धियाँ डाक व टेलीफोन सेवाओं का विस्तार, जहाज निर्माण उद्योग की नींव, और ग्रामीण क्षेत्रों तक संचार सुविधाएँ पहुँचाना उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है।
7. वाणिज्य व उद्योग मंत्री के रूप में औद्योगिक विकास सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में संतुलन बनाकर उन्होंने औद्योगिक प्रगति को गति दी। HMT और HEC जैसे उपक्रम उनकी कार्यकुशलता का परिणाम हैं।
8. गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय एकता का प्रयास असम भाषा विवाद का समाधान 'शास्त्री फार्मूला' द्वारा और पंजाब की भाषा-समस्या पर अकाली नेताओं से समझौता उनकी समन्वयकारी नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करता है।

शोध का औचित्य एवं महत्व

1. ऐतिहासिक औचित्य शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और 'करो या मरो' जैसे महामंत्र से प्रेरित होकर राजनीति में आए। उनके कार्यों का अध्ययन करना भारत की स्वतंत्रता से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती तक की यात्रा को समझने के लिए आवश्यक है।
2. राजनीतिक महत्व उन्होंने संविधान सभा, संसद, कांग्रेस संगठन और विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। उनके नेतृत्व और संगठन क्षमता का विश्लेषण भारतीय राजनीति की निरंतरता और लोकतांत्रिक परिपक्वता को समझने में सहायक है।
3. प्रशासनिक औचित्य गृह, परिवहन, संचार, वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्रालय जैसे विभागों में उनकी कार्यशैली ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित पर आधारित थी। उनका अध्ययन भारतीय प्रशासनिक परंपरा के आदर्श स्वरूप को रेखांकित करता है।
4. सामाजिक महत्व शास्त्री जी के निर्णय सदैव जनहित और सामाजिक समानता की दिशा में रहे–जैसे बस कंडक्टर पद पर महिलाओं की नियुक्ति, सांप्रदायिक दंगों में मानवीय दृष्टिकोण, और ग्रामीण अंचलों के विकास पर बल। इससे भारतीय समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा मिला।
5. आर्थिक महत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने HMT, HEC जैसे उपक्रमों की स्थापना की, कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया तथा औद्योगिक उत्पादन को कृषि से जोड़ा। उनके योगदान का अध्ययन भारत की आर्थिक प्रगति के स्वरूप को समझने के लिए अनिवार्य है।

6. राष्ट्रीय एकता का औचित्य असम भाषा-विवाद और पंजाब के अकाली आंदोलन जैसी जटिल समस्याओं को उन्होंने 'शास्त्री फार्मूला' और समझौते के माध्यम से सुलझाया। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य बनाए रखने में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही।
7. नैतिक एवं आदर्श महत्व रेल दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पदत्याग और अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी, सादगी व कर्तव्यनिष्ठा उनके व्यक्तित्व को आदर्श बनाते हैं। यह भावी नेताओं और शोधार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

निष्कर्ष

लाल बहादुर शास्त्री का राजनीतिक व प्रशासनिक जीवन भारतीय लोकतंत्र, शासन-प्रशासन और राष्ट्रीय एकता की नींव को सुदृढ़ करने वाला रहा।

राजनीतिक दृष्टि से – शास्त्री जी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, चुनावी अभियानों का कुशल संचालन करने और नए नेतृत्व को अवसर प्रदान करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे नेहरू जी के सबसे विश्वासपात्र सहयोगियों में गिने गए।

प्रशासनिक दृष्टि से – गृह, परिवहन, रेल, संचार तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयों का कार्यभार सँभालते हुए उन्होंने ईमानदारी, कार्यकुशलता और पारदर्शिता का परिचय दिया। रेल दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर इस्तीफा देना उनकी आदर्शवादी राजनीति का अनुपम उदाहरण है।

सामाजिक दृष्टि से – उन्होंने सांप्रदायिक उपद्रवों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और भीड़ नियंत्रण हेतु लाठीचार्ज के स्थान पर पानी की बौछार का प्रयोग कर नई नीति दी। बस सेवा का राष्ट्रीयकरण और महिलाओं को कंडक्टर नियुक्त करना उनके प्रगतिशील सोच का द्योतक है।

आर्थिक व औद्योगिक दृष्टि से शास्त्री जी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हुए उद्योग, कुटीर उद्योग और कृषि के समन्वित विकास पर बल दिया। HMT, HEC जैसे उपक्रम उनकी दूरदृष्टि का परिणाम थे।

राष्ट्रीय एकता व सामंजस्य – असम भाषा-विवाद और पंजाब के अकाली आंदोलन जैसी जटिल समस्याओं को 'शास्त्री फार्मूला' और संवाद की नीति से सुलझाना उनकी सहिष्णुता और समाधानकारी दृष्टि का प्रमाण है।

निष्कर्षतः शास्त्री जी का समूचा सार्वजनिक जीवन ईमानदारी, सादगी, साहस, कर्तव्यनिष्ठा और दूरदर्शिता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का साधन न मानकर, राष्ट्र और जनहित की सेवा का माध्यम बनाया। उनका व्यक्तित्व और कार्य आज भी भारतीय राजनीति और प्रशासन के लिए प्रेरणास्रोत है।

संदर्भ

1. लाल बहादुर शास्त्री, व्यक्ति और विचार, रामचन्द्र गुप्त, एसियन पब्लिकेशन मॉडल हाउस, जालंधर, 1960.
2. कर्मवीर लाल बहादुर शास्त्री, हरिलाल श्रीवास्तव, प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 1993.
3. लाल बहादुर शास्त्री, डॉ० ईश्वरी प्रसाद वर्मा, प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 1993.
4. कर्मवीर लाल बहादुर शास्त्री, हरिलाल श्रीवास्तव, प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 1993.
5. नागार्जुन, 'रविवासरीय', अमर उजाला दैनिक, कानपुर, 10 अक्टूबर 1999.
6. लाल बहादुर शास्त्री, राजनीति में सत्यनिष्ठ जीवन, सी०पी० श्रीवास्तव, शंकर नेने, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्रा० लि०, नई दिल्ली, संस्करण- 2004.
7. लाल बहादुर शास्त्री, डॉ० सुनील जोशी, डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली, 1 जून 2007.
8. लाल बहादुर शास्त्री नेतृत्व के सूत्र, अनिल शास्त्री एवं पवन चौधरी, विजडम विलेज पब्लिकेशन लि०, मणिपाल, 1 जनवरी 2015.
9. स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद, कमलापति त्रिपाठी, अभिव्यक्ति प्र० प्रा०क०लि० नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2018.
10. शास्त्रीजी के प्रेरक प्रसंग, रेनू सैनी, ओसियन बुक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली, संस्करण- 2022.